

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-5)

F27(47)RDD-5/PMAY-G/M-1/Hudco/2017-18-0207/ Jaipur

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

जिला परिषद्— समस्त(सीकर एवं झुंझुनूं को छोड़कर)

Date 16-08-2024

विषय :- मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना के क्रियान्वयन अवधि समाप्ति की तिथी, को उपलब्ध अवशेष/अव्ययीत राशि के संबंध में निर्धारित संलग्न प्रपत्र में सूचना उपलब्ध कराने बाबत्।


संदर्भ :- वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 332400848 दिनांक 09.07.2024 एवं इस कार्यालय के पत्र दिनांक 10.07.2024 एवं 25.07.2024

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजनान्तर्गत विवादित बंद पड़े आवासों को write-off कराये जाने के संबंध में योजना के क्रियान्वयन अवधि समाप्ति की तिथी, को उपलब्ध अवशेष/अव्ययीत राशि के संबंध में निर्धारित संलग्न प्रपत्र में सूचना वित्त विभाग द्वारा चाही गई है। इस सम्बंध में आपको संदर्भित पत्रों द्वारा पूर्व में लिखे जाने के पश्चात भी आदिनांक तक सूचना उपलब्ध नहीं करवायी गयी है।

अतः पुनः आग्रह है कि उक्तानुसार वांछित सूचना संलग्न प्रपत्र में तैयार कराकर दिनांक 23.08.2024 तक प्रेषित करावे ताकि मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजनान्तर्गत वांछित सूचना वित्त विभाग को प्रेषित की जा सके।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार


(के.के. शर्मा)
अधीक्षण अभियंता, ग्राविवि

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्राविवि।
2. वित्तीय सलाहकार, ग्राविवि।
3. जिला कलेक्टर, जिला (सीकर एवं झुंझुनूं को छोड़कर)